



आम बजट 2018-19 का सार (भाग -2)

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा गया कि सरकार वनरिमाण सेवाओं और नरियातों के कषेत्र में 8 परतशित से अधकि की आरथकि वकिास दर प्रापूत करने के परतविचनबद्ध है। वरष 2017-18 की दूसरी तमाही में सकल घरेलू उत्पाद की 6.3 परतशित की वृद्धादर ने अरथव्यवस्था में महत्त्वपूरण बदलाव आने के संकेत दयि थे। वतित वरष की दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 परतशित से 7.5 परतशित की दर से वृद्धाहोने की आशा है।

शकिषा, स्वास्थय और सामाजकि सुरकषा

- वरष 2018-19 के लयि स्वास्थय, शकिषा और सामाजकि सुरकषा पर बजटीय व्ययों का अनुमान 2017-18 के 1.22 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 1.38 लाख करोड़ रुपए है।
- शकिषा के कषेत्र में वरष 2022 तक खेल और कौशल वकिास में प्रशकिषण प्रदान करने के अलावा 50 परतशित से ज़यादा की अनुसूचति जनजाति आबादी वाले परतयेक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय वदियालय की स्थापना की घोषणा की गई है।
- सरकार सामाजकि-आरथकि जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, वधिवाओं, बेसहारा बच्चों, दवियांगजनों और वंचति लोगों के परतयेक परिवार तक पहुँचने के लयि एक व्यापक सामाजकि सुरकषा तथा संरकषण कार्यक्रम कार्यावति कर रही है।
- राष्ट्रीय सामाजकि सहायता कार्यक्रम के लयि वरष 2018-19 में 9975 करोड़ रुपए का प्रावधान कयि गया है।
- वरष 2022 तक शकिषा में आधारभूत सुवधियाओं और प्रणालयिों को पुनः मज़बूत बनाने के लयि अगले चार वरषों में एक लाख करोड़ रुपए के नविश का प्रावधान कयि गया है।
- प्रधानमंत्री अनुसंधान अधयेता पहल के तहत शरेशठ संस्थानों से हर वरष एक हज़ार उत्कृषट बीटैक छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें आईआईटी, आईआईएससी में पीएचडी करने के लयि सुवधियाँ प्रदान की जाएगी।
- 10 करोड़ से अधकि गरीब और कमज़ोर परिवारों को दायरे में लाने के लयि एक फ़्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थय संरकषण योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, जसके तहत द्वतीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भरती होने के लयि प्रतिपरिवार को पाँच लाख रुपए का परतविर्ष कवरेज प्रदान कयि जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थय नीति 2017 की परकिलपना के अनुसार 1.5 लाख केंद्र स्वास्थय देखभाल प्रणाली को घर तक पहुँचाएंगे। इस कार्यक्रम के लयि 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान कयि गया है।
- गंगा स्वच्छता के मामले में नमामिगे कार्यक्रम के अंतरगत 16,713 करोड़ रुपए की लागत से कुल 187 परयोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 47 परयोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 4465 ग्रामों को खुले मे शौच से मुक्त घोषति कर दयि गया है।

वरषिठ नागरकिों के लयि रधियत

- बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशपर बयाज आय में छूट 10 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए की गई है तथा आयकर धारा 194ए के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी। यह लाभ सावधकि जमा योजनाओं तथा आवरती जमा योजनाओं में प्रापूत होने वाले बयाज के लयि भी उपलब्ध होगा।
- धारा 80डी के अंतरगत स्वास्थय बीमा प्रीमयिम या चकितिसा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए कर दयि गया है। अब सभी वरषिठ नागरकि कसिी स्वास्थय बीमा प्रीमयिम या कसिी चकितिसा के संदर्भ में 50 हज़ार रुपए परतविर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।
- धारा 80डीडीबी के अंतरगत गंभीर बीमारी से संदर्भ में चकितिसा खरच के लयि कटौती सीमा को वरषिठ नागरकिों के मामले में 60 हज़ार रुपए से और अतिवरषिठ नागरकिों के मामले में 80 हज़ार रुपए से बढ़ाकर सभी वरषिठ नागरकिों के लयि एक लाख रुपए का प्रस्ताव कयि।
- टैक्स रधियतों के अतरिकित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा नगिम द्वारा 8 परतशित नशिचति प्रतिलाभ (Return) प्रदान कयि जाता है। इस योजना के तहत परतविर्षिठ नागरकि 7.5 लाख रुपए की मौजूदा नविश सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कयि जा रहा है।
- अंतरराषट्रीय वतितिय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थति स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से आईएफएससी के लयि दो अन्य रधियतों का प्रस्ताव है।
- अनविासी भारतीयों द्वारा डेरविटवि और कुछ परतभूतयिों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ में रधियत की घोषणा की है।
- अंतरराषट्रीय वतितिय सेवा केंद्र में कार्य करने वाले गैर-कॉरपोरेट कर प्रदाताओं पर 9 परतशित का वैकल्पकि न्यूनतम कर (एएमटी) लगेगा, जो कॉरपोरेट पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पकि कर (एएमटी) के समान होगा।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/summary-of-general-budget-2018-19-part-2>